



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001



आवंटनादेश सं०-01/दि०स०नि०(बजट)-10/2024 स.क.-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रु० 51,65,000/- (इक्यावन लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-51 दिनांक-12.06.2024 में मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रु० 51,65,000/- (इक्यावन लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है ।

यह आवंटन पूर्व के प्रथम आवंटन रु० 26,97,83,000/- (छब्बीस करोड़ सतानवे लाख बीस हजार आठ सौ रुपये) एवं द्वितीय आवंटन रु० 12,95,20,000/- (बारह करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार रुपये) मात्र के अतिरिक्त है (आवंटनादेश सं०-02 दिनांक-26.06.2024 एवं आवंटनादेश सं०-11 दिनांक-30.12.2024) ।

3. भारत राशि की निकासी मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण योजना, उप शीर्ष-01119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-01119.31.06-2235021010119 के अन्तर्गत अनादिन, विपत्र कोड 51-2235021010119 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

4. भारत राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-214/वि दिनांक-06.03.2024 समय पर निर्गत अन्य 3576/वि दिनांक-01.04.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

6. इसके नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक हेतु Axis Bank में खोले गये Parent



Account खाता सं०-923010072106524 IFSC Code-UTIB0000387 में राशि अंतरित की जायेगी। उक्त राशि से आवश्यकतानुसार जिलों को मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक हेतु जिलों में Axis Bank में खोले गये Child Account में राशि Limit की जायेगी।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा।

10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, जिपांक:-01/दि0स0नि0(बजट)-10/2024 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

पटना, जिपांक:-01/दि0स0नि0(बजट)-10/2024 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

पटना, जिपांक:-01/दि0स0नि0(बजट)-10/2024 स.क.- 12

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार / सभी जिला कोषागार, पदाधिकारी, बिहार / आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक

ह०/-

उप निदेशक

17/03/2025

17/3-25

उप निदेशक